




तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अदालत हुकम में
	<p>पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामे के अनुसार भूमि खण्डों 341, 342, 581, 583, 586, 896, 897, 900, 901, $\frac{354}{1160}$, 954, 387, 410, 898, 899 ग्राम खानपुरखडौदा में वादीगण को $\frac{1}{4}$ हिस्से का, प्रतिवादी सं० 1 को $\frac{1}{4}$ हिस्से का, प्रतिवादी सं० 2 को $\frac{1}{4}$ हिस्से का, प्रतिवादी सं० 3 को $\frac{1}{4}$ हिस्से का स्वामित्व का शतकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान इन्ड्राज निरस्त किस जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि स्वामित्व में दर्ज की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पचा डिक्री जारी किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल्य शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील हुकम काद के माद दारखिल दफतर हो।</p>	
	<p>  (रावेंद्र कुमार शर्मा) स डवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापूर सिटी </p>	
	<p>  (सतीश कुमार शर्मा) स डवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापूर सिटी </p>	
		<p>  (अनुराज झा) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापूर सिटी स ड उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी </p>